Publication	Dainik Bhaskar
Language/Frequency	Hindi/Daily
Page No	04
Date	2nd July 2017

दैनिक भास्कर

जीएसटी पर रियल स्टेट से जुड़े लोगों की राय

ट्रिपल टैक्सेशन को हटाना सेक्टर के लिए फायदेमंद

गुड़गांव | ऐलान ग्रुप के निदेशक रविश कपूर का कहना है कि जीएसटी बिल डबल और ट्रिपल टैक्सेशन को हटाकर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए फायदेमंद साबित होगा। लंबे समय के लिए यह रियल एस्टेट सेक्टर में एकरूपता और मानकीकरण लाएगा, इससे उपभोक्ताओं को अलग-अलग स्तरों पर विभिन्न राज्य करों का भुगतान करने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। एकीकृत कर के कारण कर प्रबंधन के खर्च में महत्वपूर्ण कमी के अलावा अनुपालन लागत भी कम होगी। हालांकि दूसरी तरफ संपत्ति की खरीद पर लगाया जाने वाला सेवा शुल्क थोड़ी मात्रा में बढ़ाने की संभावना है।

बीडीआई ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर एस सुमित बेरी का कहना है कि जीएसटी टैक्स की कई स्तरों को समाप्त कर देगा और इससे उपभोक्ताओं को विभिन्न स्तरों पर करों का भुगतान करने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। इससे कर प्रबंधन लागत में भी कमी आएगी। दूसरी तरफ संपत्ति की खरीद पर लगाए गए शुल्क से थोड़ी लागत बढ़ने की संभावना है, क्योंकि सेवाओं पर 18 प्रतिशत की दर लगाई जाएगी। वहीं एमथ्रीएम के निदेशक पंकज बंसल का कहना है कि जीएसटी के वर्तमान दिशा निर्देशों के साथ, लक्जरी संपत्तियों पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि कीमतों में वृद्धि हो सकती है, सरकार ने अभी तक जमीन के घटक के रूप में पूर्ण सेट ऑफ नहीं दिया है, वर्तमान में संपत्ति के कुल मूल्य के 30 प्रतिशत पर ही शुल्क लगाया जाता है, अब संपत्ति के पूरे मूल्य पर जीएसटी का शुल्क लगेगा।